न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
14/18	FSSA	04.07.2018	27.04.2022

1. सरकार जरिये नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।

–आवेदक–

बनाम

1. उदय राज चतुर्वेदी पुत्र चतुर्भुज चतुर्वेदी उम्र 48 जाति ब्राह्मण (खाद्य कारोबार एवं फर्म मालिक) निवासी सालोदा मोड पोस्ट गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर मैसर्स माधव आईसक्रीम फेक्ट्री, सालोदा रोड, पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

–अभियुक्त–

निर्णय **दिनांकः–27.04.2022**

आवेदक श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदक दिनांक 25.05.2016 को समय 2:30 पी.एम. पर मै0 माधव आईसक्रीम फेक्ट्री, सालोदा मोड, पोस्ट–गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर उदय राज चतुर्वेदी चतुर्वेदी उम्र 48 जाति ब्राह्मण (खाद्य कारोबार कर्ता एवं फर्म मालिक) निवासी–सालोदा मोड, पोस्ट–गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। उसको आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में फेक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया परिसर में खाद्य पदार्थ आईस केण्डी एवं आईसक्रीम रखी हुई थी साथ ही 01 डीप फ्रिज में लगभग 300 स्टीक आईसकेण्डी ऑरेंज फ्लेवर रखी हुई थी। खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी का निरीक्षण करने पर उसके मानक स्तर का नही होने का शक हुआ तो विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र के बारे मे जानकारी ली। विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र पेश किया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5A की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी की 24 स्टीक (प्रत्येक लगभग 50 ग्राम) वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 72/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

तथा तस्दीक पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी 24 स्टीक को एक तपेली में रख कर पिघला कर चार बराबर भागों में बांटकर कांच की चार साफ–सुथरी शीशियों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक कांच की शीशी में फॉर्मेलीन की 24–24 बूंदे डालकर एयरटाईट बन्द कर लिया तदोपरांत आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज मे लपेटकर अभिहित अधिकारी, सवाई माधोपुर से प्राप्त स्लिप क्रमांक एच–941 प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेवल पर चिपकाकर धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता उदयराज चतुर्वेदी पुत्र चतुर्भज चतुर्वेदी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वही नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति को आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश सैन, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्यालय डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2182 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि State Central Public Health Laboratory, Jaipur [Rajasthan] से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस 1852/एक्ट/2016/2793 दिनांक 08.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति का पाया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2016/2182 दिनांक 16.08.2016 की पालना में प्रकरण के समस्त दस्तावेज डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाए, जिस पर कार्यालय डी.ओ. एवं मुख्यउ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2016/3163 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति का खाद्य पदार्थ आईसकेण्डी का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः आमजन के हित मे अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाए जाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री भानु कुमार सिंघल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुऐ जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त द्वारा पेश किए गये जवाब मे उसने आरोप से इंकार करते हुए बताया है कि वह शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है। उसके द्वारा नियमानुसार लाईसेन्स प्राप्त कर माधव आईस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पुलिस का भय दिखाकर जबरन आईसकेण्डी का सेम्पल लेकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस प्रकार बिना निर्धारित प्रक्रिया के सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई। जांच रिपोर्ट मे सुगर कम बताई गई है जिसका मानव स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है अतः सेम्पलिंग की आईसकेण्डी अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति की नही मानी जा सकती है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का कष्ट करें।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री भानु कुमार सिंहल ने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एकपक्षीय बहस की तथा निवेदन किया कि प्रार्थी लघु उद्योग के रूप मे आईसकेण्डी का निर्माण व विक्रय का कार्य करता था लेकिन कोविड–19 के कारण उक्त कार्य बंद हो गया है तथा प्रार्थी बेरोजगार हो गया है। जिसके चलते अभियुक्त की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप अथवा न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिसमें संलग्न STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY, JAIPUR [RAJASTHAN] की REPORT OF THE FOOD ANALYST क्रमांक एलएस 1852/एक्ट/2016/2793 दिनांक 08.08.2016 का भी अवलोकन किया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

Opinion- "The sample of "Ice Candy" bearing Code No. and S.No. H-941 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Substandard as it does not meet to the prescribed provisions of Food safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation. 2011"

FOOD ANALYST की रिपोर्ट के मुताबिक आईसकेण्डी का सेम्पल Sr. No. H-941 अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति का पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा अवमानक (**Sub-Standard**) प्रकृति की खाद्य वस्तु का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा जबाब मे अंकित कथनो के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किए है। लेकिन कोविड–19 के कारण अभियुक्त की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। साथ ही उसके द्वारा यह कार्य प्रथम बार करना प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त के द्वारा की गई अनियमितता के लिए अभियुक्त पर 20,000/– रूपये (अक्षरे–बीस हजार रूपये मात्र) आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य मे इस

अति. जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर सिटी (स०मा०)

प्रकार के कार्य का दोहरान न करें। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा वाद गुजरने मियाद नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)